न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 78 / 2020

दायरा दिनांक–05–08–2020

1. श्योपाल पुत्र रामूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गढ़वालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– आवेदक

बनाम

1. मनोहरी देवी धर्मपत्नी हनुमाराराम जाति गुर्जर निवासी गढ़वालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ
2. ताराचन्द पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी गढवालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ
3. बोदूराम पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी गढवालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ
4. महावीर प्रसाद पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी गढवालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ
5. मोहनलाल पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी गढवालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ
6. सुवादेवी पत्नी भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी गढवालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ
7. मंजू पुत्री भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी गढवालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ।
8. सुगना पुत्री भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी गढवालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ।
9. मनोहरी पुत्री भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी गढवालो की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ।
10. मालाराम पुत्र रामूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गढ़वालो की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ।
11. रूपाराम पुत्र रामूराम जाति गुर्जर निवासी गढवालों की ढाणी खिरोड़ तहसील नवलगढ ।
12. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड तहसील नवलगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – प्रदीप कुमार झाझड़िया।
वकील अनावेदकगण :– अमर सिंह शेखावत।

प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 20–09–2021

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 50, 51, 52, 179, 182, 183 रकबा क्रमशः 0.04, 0.51, 0.03, 2.33, 0.49, 0.06 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 3.46 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा आवेदक का, 1/4 हिस्सा अनावेदक संख्या 10 का, 1/4 हिस्सा अनावेदक संख्या 11 का है 1/4 हिस्सा अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 का था। वादग्रस्त आराजी को आवेदक व अनावेदक संख्या 2 लगायत 11 उपरोक्त हिस्सेवार ही अविभाजित रूप से काश्त करते रहे है। वादग्रस्त आराजी का आवेदक व अनावेदग संख्या 2 लगायत 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

के मध्य कभी भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से विधिवत बंटवारा नही हुआ वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में आवेदक व अनावेदक संख्या 2 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी आवेदक व अन्य सह खातेदारान की अविभाजित कृषि सम्पदा है।

अविभाजित कृषि सम्पदा का जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से विधिवत विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक इंच–इंच पर कब्जा काश्त होता है। बिना विधिवत विभाजन के किसी भी सह काश्तकार को ना तो किसी विशिष्ट भाग पर कब्जा करने का अधिकार है ओर ना ही विशिष्ट भाग को विक्रय करने का अधिकार है और ना ही को–टीनेन्सी की भूमि पर को–टीनेन्ट को ऐसा कृत्य करने का अधिकार है जिसके अन्य सह काश्तकार के हितों पर विपरित असर पड़ता हो। इसके बावजूद भी अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 ने वादग्रस्त आराजी में अपने नाम दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020 को अनावेदक संख्या 1 को विक्रय कर दिया। उक्त विकय पत्र अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 ने बिना कब्जे के अन्तरण के रजिस्टर्ड करवाया है। अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 को बिना विधिवत विभाजन के उक्त भूमि व इसके किसी भी भाग को विकय करने का कोई अधिकार नही था। अनावेदक संख्या 1 केता अजनबी व्यक्ति है। जिसने बिना कब्जे के भूमि का क्रय किया है जो उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भाग पर कब्जा करने पर आमादा है। अनावेदक संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्य दिनांक 02.08.2020 को आवेदक के पास आये और आवेदक को धमकी दी कि हमने अनावदेक संख्या 2 लगायत9 से वादग्रस्त आराजी को क्रय कर लिया है तथा विक्रय पत्र हमारे नाम से रजिस्ट्रर्ड करवा लिया। हम वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भाग पर कब्जा करेगे, तो आवेदक ने कहा कि हम तो उक्त आराजी को अविभाजित रूप से काश्त करते है हम भाईयों का कभी भी विधिवत बंटवारा नही हुआ। इसलिए आप विधिवत रूप से बंटवारा करवाकर भूमि में प्रवेश करना व बाद में अपने हिस्से में आई भूमि को काश्त करना। इस पर अनावेदक संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्य भड़क गये और उन्होने आवेदक को ऐलानिया धमकी दी कि हमे किसी बंटवारे के आवश्यकता नही है हमारे पास लाठियों का जोर है हम कभी भी जमीन पर कब्जा कर लेगे।

अनावेकद संख्या 1 को बिना विधिवत विभाजन के वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग में प्रवेश करने का व कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। इसके बावजूद भी अनावेदक संख्या 1 अपने परिवार के सदस्यों के बल पर जबरदसती वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भाग पर कब्जा करने का आमादा है। यदि अनावेदक संख्या 1 लाठी के बल पर कानून को हाथ में लेकर वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भाग पर कब्जा कर लेगे तो आवेदक को अनेक परिशानियों का सामना करना होगा। इसलिए वादग्रस्त आराजी का विधिवत मिट्स एण्ड बाउण्ड से विधिवत विभाजन के लिए आवेदक ने वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी आवेदक व अनावेदक संख्या 2 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 को वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी अंश का बिना विधिवत विभाजन के विक्रय करने का अधिकार नही था इसके बावजूद भी अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 ने विधि के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये वादग्रस्त आराजी में अपने नाम दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि को अनावेदक संख्या 1 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020 को विक्रय कर दिया। अनावेदक संख्या 1 अजनबी व्यक्ति है जिसके साथ अविभाजित रूप से काश्त करा सम्भव नही एवं आवेदक संख्या 1 को बिना विधिवत विभाजन के वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भाग पर कब्जा करने का अधिकार नही है, परन्तु अनावेदक संख्या 1 अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से लाठी के बल पर जबरदस्ती वादग्रस्त आराजी के निश्चित भू–भाग पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका अनावेद संख्या 1 को कोई अधिकार नही है। इसलिए अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

वादग्रस्त आराजी का कभी भी विधिवत विभाजन नही है। राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी का कभी भी विविधवत विभाजन नही है। राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी आवेदक व अनावेदक संख्या 2 लगायत 11 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। इसलिए आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है। वादग्रस्त आराजी के विधिवत विभाजन से अनावेदकगण को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नही होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में पड़ता है यदि अनावेदक संख्या 1 अपनी नाजायज मंशा में सफल होकर वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भाग पर कब्जा करेगा तो आवेदक व अनावेदक संख्या 1 के मध्य कब्जे काश्त को लेकर तरह–तरह के विवाद होगे। न्यायालय में वादों के बहुलता बढ़ेगी और आवेदक को आपार धन व समय का नुकसान होगा जिसकी आर्थिक रूप से गणना की जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगा। इसलिए अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अनुतोष चाहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अनावेदक संख्या को इस आसय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने वाद ग्राम गढ़वालों की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 50, 51, 52, 179, 182, 183 रकबा क्रमशः 0.04, 0.51, 0.03, 2.33, 0.49, 0.06 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 3.46 हैक्टर के किसी भी भाग पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा नही करे उक्त आराजी के किसी भी भाग में प्रवेश नही करे वादी को शांती से काश्त करने दे एवं अनावेदक संख्या 1 उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी को आगे किसी अन्य व्यक्ति हस्तान्तरित नही करे। दौराने मूल वाद अनावेदगण उक्त आराजी के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 व 9 की ओर वकील श्री अमर सिंह ने अपना वकालत नामा पेश किया तथा अनावेकदगण संख्या 10 लगा॰ 13 बावजूद तामील के इनके ओर से कोई भी हाजिर न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 को ओर से जवाब प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दावा पेश करना स्वीकार है बाकी तथ्य जिस तरह से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक का प्रार्थना कमजोर आधार पर आधारित होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा 2 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है। वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 179, 182, 183, 50, 51, 52 रकबा क्रमशः 2.33, 0.49, 0.06, 0.04, 0.51, 0.03 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 3.46 हैक्टर स्थित है, जिसमें शामलाती चाह भी बना हुआ जो आवेदक व अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 तथा 10, 11 की खातेदारी काश्तकारी में चली आ रही है। उक्त भूमि पैतृक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि में आवेदक का 1/4 हिस्सा, अनावेदक संख्या 10, 11 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 का 1/4 हिस्सा है तथा शामलाती चाह में भी इसी प्रकार 1/4–1/4 हिस्सा है। अपने–अपने हिस्से अनुसार वर्षो पूर्व आपस मे निड्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार सहुलियत से विभाजन कर आपस में ब।अवारा कर उपरोक्त वर्णित भूमि मे अपने–अपने हिस्से पर कब्जे–काश्त करते चले आ रहे जिसमें अपने–अपने हिस्से में आई भूमि में आवेदक व अनावेदक संख्या 9 [illegible] आदि बनाकर अपने परिवार सहित निवासी करते चले आ रहे है तथा अपनी–अपनी भूमि की सु[illegible]बंदी इत्यादी कर रखी है तथा शामलाती चाह से अपने–अपने हिस्से में आई [illegible] नजरी नक्शा संलग्न है जिसमें मौके पर कब्जा काश्त के अनु[illegible]या। मात्र राजस्व रिकार्ड शामलाती होने का नाजायज फायदा उठाकर आवेदक ने हैरान– परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

प्रार्थना पत्र की धारा 4 जिस तरह से जर्द है अस्वीकार है। यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की धारा 3 में वर्णित आराजीयत में आवेदक व अनावेदकगण का हिस्सा दर्ज है तथा साथ ही साथ धारा 2 मे भी आवेदक व अनावेदकगण का हिस्सा दर्ज है। चूंकि वादग्रस्त भूमि का आज से वर्षो पूर्व मीट्स एण्ड बाउण्ड्स भौतिक, आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा कर अलग–अलग काश्त कब्जा चला आ रहा है। परन्तु आवेदक व अनावदेकगण नम्बर 10 तथा 11 बदनियति से शामलाती राजस्व रिकार्ड की आड़ में पूर्व में विभाजित भूमि का गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि सभी खातेदारान अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजित भूमि पर काबिज व काश्त करते है, मकानात बनाकर परिवार सहित आबाद है तथा वर्षो पूर्व किया गया विभाजन को न मानकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 31.07.2020 को जरिये विक्रय पत्र में नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 ने अपने हिस्सा 1/4 जायज घरेलू आवश्यकता के लिए अपना नोशनल शेयर 1/4 हिस्से को अनावेदक संख्या 1 को जरिये विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ में तस्दीक करवाया है तथा अनावेदग संख्या 1 विक्रय पत्र के रोज से 1/4 हिस्से पर काबिज हो गया है तथा वर्तमान में आज तक काबिज है। यह कहना गलत है कि दिनांक 02.08.2020 को अनावेदक नम्बर 1 आवेदक के पास गया है, या धमकी दी हो, ये तमाम बाते मात्र बेबूनियाद व मनगढ़ंत होने के साथ–साथ मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए दर्ज की गई है। वर्षो पूर्व किये गये विभाजन अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है, जिसको नजरी नक्शा मे विस्तार से दर्शाया गया है। मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार रिपोर्ट मंगवायी जाकर विधिवत विभाजन करवाये जाने के लिए तैयार है। विकल्प में नजरी नक्श के अनुसार ही विधिवत विभाजन किया जाता है तो अनावेदक संख्या 1 लगायत 9 को कोई आपति नही है।

प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है तमाम बाते प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए दर्ज की गई है। वर्षो पूर्व आवेदक अनावेदक संख्या 2 लगायत 9, 10 तथा 11 निड्स एण्ड बाउण्ड्स क अनुसार विभाजन कर अपने–अपने हिस्से में आयी भूमि पर मकानात आदि बनाकर शामलाती चाह से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र विभाजन का होने के कारण से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी जाकर विधिवत विभाजन करवाये जाने के लिए तैयार है।

प्रार्थना पत्र की धारा 6 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। मात्र राजस्व रिकार्ड शामिल होने का गलत फायदा उठाने की गर्ज से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वर्षो पूर्व नजरी नक्शा में दर्शित हिस्से अनुसार कब्जे काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने–अपने हिस्से में पक्के मकानात आदि बना रखें है। अनावेदक संख्या 2 लगायत 9 ने अपना 1/4 हिस्सा नोशनल शेयर जायज आवश्यकता के लिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय–पत्र के विक्रय किया है उक्त 1/4 हिस्से पर अनावेदक संख्या 1 विक्रय पत्र के रोज से काबिज है जिसको नजरी नैशा में विस्तार से दर्शाया गया है वर्षो पूर्व विभाजन कर अपने–अपने 1/4–1/4 हिस्से पर कब्जे–काश्त तथा तारबन्दी कर मकानात बनाकर निवास करने के कारण से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का आवेदक अधिकारी नही है तथा कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। आवेदक द्वारा विभाजन की इस्तदुआ चाही है इसलिए मौके की रिपोर्ट मंगवायी जाकर विधिवत विभाजन कर दिया जावे।

प्रार्थना पत्र की धारा 7 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। मात्र राजस्व रिकार्ड शामलाती होने के कारण से आवेदक ने कानून की आड़ लेकर अनावेदक संख्या 1 लगायत 9 को हैरान–परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक अलग भूमि खसरा पर काबिज है तथा अपना मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है जिसको नजरी नक्शा में दर्शाया गया है इसलिए स्थगन भी आवेदक के पक्ष में नही होने के कारण से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही के कारण से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की धारा 8 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है अनावेदक खातेदार काश्तकार तथा काबिज है, खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, क आवेदिका का उक्त वादग्रस्त भूमि

ए.सी.ई.एम.(फा.दे.)
नवलगढ

7

पर कोई कब्जा नही है, कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती, आवेदक के बजाय अनावेदक का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन भी अनावेदक के पक्ष में है, इसलिये अपूर्णीय क्षति भी अनावेदक को होगी, इसलिए वाद व प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण से खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र की धारा 9 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है। जब वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका का कब्जा ही नही है तो विभाजन करवाने का कोई अधिकार नही है। इसलिये वाद व प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** वादी द्वारा वाद–पत्र में विधिवत विभाजन की इस्तदुआ चाही है तथा अपने आपको स्वतंत्र काश्तकार खातेदार घोषित भी करवाना चाहता है। वाद–पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगण दोनो पक्षकारान इस तथ्य को स्वीकार करते है कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 ने भूमि का बेचान कर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 को सुपुर्द कर दिया है जिसका आज तक राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज होकर अमल दरामद नही हुवा है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 जो प्रदर्श–1 में आज भी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 के नाम दर्ज है। जहां तक कानूनी प्रावधान का प्रश्न है, उसमें कानूनी प्रावधान का अवलोकन किया जावे तो विभाजन के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अनुसार विधिवत विभाजने के लिए समस्त खातेदार काश्तकार वाद मे पक्षकार होने आवश्यक है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। कानून जब तक प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित नही कर दिया जाता है तब तक विधिवत विभाजन कानूनन नही किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण मे वादी व प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 9 प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान करने पर खातेदार काश्तकार के रूप में काश्तकार स्वीकार करते है। दावे में उपलब्ध साक्ष्य प्रदर्श–3 से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 9 के अपने हिस्से 1/4 की भूमि से सम्बन्धित हक अधिकार जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी नम्बर 1 को हस्तान्तरित कर दिया है तथा मोके पर भौतिक रूप से कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 को सुपुर्द कर दिया हैं। प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार है तथा सह खातेदारी भूमि में सभी सह खातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। मूल वाद में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 द्वारा विभाजन की इस्तदुआ चाहने पर प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है।
2. **सुविधा का संतुलन :–** मूल वाद प्राथमिक डिक्री होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।
3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह खातेदार होने तथा मूल वाद प्राथमिक डिक्री होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। निर्णय आज दि[illegible] 2[illegible]9–2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested

(दमयन्ती कंवर)
ए. सी. एम. (फा. ट्रे.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ